संशोधित कोटेसन की शर्तें:-

1. कोटेसन मुहरबंद लिफ़ाफ़े मे होना चाहिए ।
2. त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारीत अवधि के बाद कोटेसन पर विचार नहीं किया जायेगा ।
3. कोटेसनदाता को निमन सामानों के आपूर्ति का 2 वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलगन करना अनिवार्य है ।
4. कोटेसनदाता को PAN CARD तथा GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलगन करना होगा ।
5. कोटेसनदाता के सामानों कि आपूर्ति के उपरांत वारंटी / गारंटी अवधी मे कोई त्रुटि या खराबी पाए जाने पे शीघ्र मरमती करवाना होगा । उकत quality का ही दूसरा सामान देना होगा । उकत quality का ही दूसरा सामान वारंटी / गारंटी अवधी मे बनवाने या मरमती करवाने पर कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा ।
6. किसी भी कोटेसन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार उधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा ।
7. किसी प्रकार कि विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि मे उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा औधोगिक क्षेत्र, पटना 800013 के कार्यालय से सम्पर्क अथवा संस्थान के वेबसाईट www.umsas.org.in पर देखा जा सकता है ।
8. दिनांक 17.09.2022 को 3 बजे अप० तक उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,पटना के कार्यालय मे कोटेसन आमंत्रित है जिसे सोमवार दिनांक 19.09.2022 को 3 बजे अप० को सभी कोटेसनदाता अथवा प्रतिनिधियों की उपस्थिति मे निर्देशक संस्थान के कार्यालय कक्ष मे खोली जाएगी ।

ह०
निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना ।

ज्ञापांक .....128..... / पटना, दिनांक 14.09.2022

प्रतिलिपि- उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना (सूचना पट पर चिपकाने हेतु) एवं श्री राहुल कुमार, IT/MIS Expert (EPCH),उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,पटना को निर्देश दिया जाता है की उपरोक्त निविदा / कोटेशन को वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे ।

निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना ।